न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 48/2018

दिनेश कुमार पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 डी डी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. सुरजीत कुमार पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी 4 डी डी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश अति0 कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर दिनांक 19.04.2018

उपस्थितिः–

श्री गुरचरण सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री सतविन्द्र गिल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अति.कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के समक्ष राज.उप.अधि. की धारा 11/14 के तहत पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बिना तारीख का उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश कर चक 4 डीडी के मु.न. 26 व 29 की 3.036 है0 भूमि आवंटन करने का पेश किया। जिस पर तहसीलदार का प्रतिवेदन प्राप्त कर बिना अप्रार्थी की पात्रता की जांच किये एवं कानूनी प्रकिया की पालना किये बिना दिनांक 22.11.2006 को आवंटन कर दिया। अप्रार्थी एवं उसके पिता, भाईयों के पास करीब 100 बीघा भूमि धारण में थी। अप्रार्थी द्वारा अपने परिवार के धारण की भूमि का कोई उल्लेख नही किया। इस प्रकार अप्रार्थी ने तथ्यों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

छिपाकर आवंटन करवाया है। मौका पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया है जो खारिज करने योग्य है। अतः निवेदन है कि आवंटन आदेश दिनांक 22.11.2016 निरस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब करने एवं तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी के उपस्थित आने पर एवं तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधी.न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 19.04.2018 को प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट, अपीलांट के पिता व भाईयों के पास पूर्व में 100 बीघा भूमि थी। विवादित भूमि मोडिफाइड पैच की श्रेणी में आती है जिसका आवंटन सामान्य आवंटन के रूप में नहीं किया जा सकता। रेस्पो. ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया है, आवंटन अधिकारी द्वारा भूमि की गणना सही नहीं की थी। रेस्पो. के पूर्व से ही 15 बीघा भूमि का हकदार होने से भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता था इसलिए वह विवादित भूमि के आवंटन की पात्रता नहीं रखता था। प्रार्थी/अपीलांट ने अपने शिकायत प्रार्थना पत्र को पूर्ण रूप से साबित किया था। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11/14 का प्रार्थना पत्र पेश करने में कोई मियाद नही है। अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश होना मानकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जब साक्ष्य सबूतों से शिकायत प्रकरण साबित था तो अधी.न्यायालय को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को बहक सरकार अधिग्रहण करने के आदेश दिये जाने चाहिए थे। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आर आर डी 2000 पेज

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

151, आर आर डी 2002 पेज 1, आर आर डी 1996 पेज 550, आर एल डब्ल्यू 2015 (2) पेज 942, आर एल डब्ल्यू 2016(2) पेज 1114 की नजीरे पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि का रेस्पो. को दिनांक 22.11.2006 को आवंटन किया गया था जिसकी अपील राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय में पेश की जो दिनांक 04.09.2008 को खारिज की जा चुकी है जिसकी अपील राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्व मंडल में पेश की जो दिनांक 25.09.2013 को खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार आदेश दिनांक 22.11.2006 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक बहाल रहा है। माननीय राजस्व मंडल के आदेश के उक्त आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो या चुनौती देकर निरस्त कराया गया हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, न ही ऐसा कथन अपीलांट ने किया है। अपीलांट द्वारा रेस्पो. को तंग व परेशान करने के लिए शिकायत प्रार्थना पत्र पेश किया है। रेस्पो. द्वारा किसी भी तथ्यों को छिपाये बिना प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसकी विधिवत जांच होने के पश्चात ही आवंटन किया गया था। अधी. न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच के पश्चात ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट का मुख्य तर्क यह रहा है कि रेस्पों. ने तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया है एवं रेस्पो. के पिता एवं भाईयों के पास पूर्व में 100 बीघा भूमि थी एवं भूमि मीडियम पेच की श्रेणी में आती है जिसका सामान्य आवंटन में आवंटन नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना उचित समझते है कि आवंटन आदेश दिनांक 22.11.2006 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 275/2007 सरकार बनाम सुरजीत कुमार पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2008 को अपील खारिज कर दी। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.09.2008 के राज्य सरकार द्वारा माननीय

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

राजस्व मंडल में अपील/एलआर/6598/2009/गंगानगर पेश करने पर उक्त अपील दिनांक 25.09.2013 को खारिज कर दी गई। माननीय राजस्व मंडल के उक्त आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो या निरस्त किया गया है ऐसा कथन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि आवंटन आदेश दिनांक 22.11.2006 माननीय राजस्व मंडल तक बहाल रहा है। आवंटन आदेश में रेस्पो. की पात्रता की जांच के पश्चात ही जारी किया गया था। अपीलांट ने इस शिकायत प्रार्थना पत्र में जो तथ्य उठाये हैं वे आवंटन आदेश से सम्बन्धित है जिसके विरूद्ध अपीले पेश होने पर खारिज हो चुकी है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जांच के पश्चात विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)